

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार,
सी 3, शास्त्री -गिर, जोधपुर [राजस्थान]- 342003

फोन नम्बर- 2433967, 2616328

फैक्स न. 0291-2439017

ई-मेल- woolindiajodhpur@dataone.in

वेब-woolboard.nic.in

पत्र क्रमांक/केऊविबो/भण्डार/कम्प्यूटर/ए.एम.सी./2016-17/

दिनांक

सीमित निविदा सूचना

इस कार्यालय के आईबीएम, लिनोवो ब्राण्ड के डेस्कटॉप, लेपटॉप एवं विभिन्न प्रिंटरों की कम्प्यूटर प्रणाली से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित फर्मों से दरें (प्रतिनग) सभी कर सहित आमन्त्रित की जाती है।

1. कम्प्यूटर व प्रिंटरों की सम्पूर्ण हार्डवेयर -सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्किंग प्रणाली के लिए पूर्ण रख-रखाव का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध की दरें प्रस्तुत करें।
2. कम्प्यूटर व प्रिंटरों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर सेवाएँ जिसमें बोर्ड की कम्प्यूटर प्रणाली को वायरस से मुक्त रखना, इण्टरनेट सिक्युरिटी तथा उपयोग में लाये जाने वाले सॉफ्टवेयर के लिए सेवाएँ प्रदान करना।
3. उपर्युक्त प्रणाली के लिए वांछित नॉन पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स, एण्टी वायरस सव सिक्युरिटी सॉल्यूशन सेवादाता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा।

इच्छुक फर्मों के प्रतिनिधि किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में आकर बोर्ड की कम्प्यूटर प्रणाली का विवरण एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड में उपलब्ध कम्प्यूटर आदि का विवरण निम्नलिखित है:-

| क्रमांक | विवरण | मात्रा |
|---------|------------------------------------|--------|
| 1. | Net Work PC (Nodes) and Desktop PC | 16 |
| 2. | Printers | 06 |
| 3. | Laptops | 02 |

पूर्ण रूप से भरी हुई दरों को दिनांक **17.05.2016 सायंकाल 3 बजे** तक अधोहस्ताक्षर के नाम से कार्यालय में जमा करा सकते हैं। दरों को साथ-साथ आपकी फर्म से सेवाए प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण संगठनों की सूची, सेवा गुणवत्ता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), कार्यरत कर्मियों की तकनीकी दक्षता का विवरण व उनकी संख्या, सभी प्रकार के करों के क्लियरेन्स प्रमाण पत्र प्राप्त निविदाओं को उपस्थित फर्मों के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक **17.05.2016 को सायंकाल 4 बजे खोला** जावेगा।

नियम व शर्तें:-

1. निविदा को सम्बन्ध में सर्वाधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेंगे तथा बिना कारण बताए निविदा को रद्द/परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड अपने पास सुरक्षित रखता है।

2. सफल कर दाता को अनुबन्ध की ँल राशि का 10% हिस्सा सुरक्षित धन के रूप में बोर्ड के पास जमा करना होगा।
3. ँसी भी प्रार ँा सेवा दोष हाने पर बोर्ड द्वारा सेवादाता से शास्ति (पेनल्टी) वसूल की जावेगी।
4. सेवादाता से पेनल्टी की वसूली उसके सुरक्षित धन से समायोजित की जावेगी तथा पेनल्टी, फॉल्ट बुकिंग के 24 घण्टों के भीतर कॉल अटेण्ड न करने पर तथा 48 घण्टों के भीतर फॉल्ट ठीक न करने पर रूपये 100/-प्रतिदिन की दर से पेनल्टी वसूली का प्रावधान होगा।
5. किसी भी प्रकार के हार्डवेयर को बदलने की जरूरत पड़ने पर बोर्ड में प्रयुक्त कम्पनी की कम्प्यूटर प्रणाली वाले ही हार्डवेयर का प्रयोग करना जरूरी हैं।
6. बोर्ड के पास आवश्यकतानुसार विशेष तकनीकी परीक्षण/पुष्टि हेतु किसी भी प्रकार से सरकारी/र सरकारी/बाहरी एजेन्सी की सेवा लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. सेवादाता को भुगतान 4 त्रैमासिक के आधार पर किया जावेगा।
8. सेवादाता के पास फोन, ई-मेल व फैक्स की सुविधा होनी अनिवार्य हैं।
9. सभी प्रार ँ विवादों ँा -याय क्षेत्र जोधपुर होगा।

ार्यारी निदेश

मां:-केऊविबो/कम्प्यूटर/ए.एम.सी./2016-17/

दि-मां

प्रतिलिपि:-

- 1.लेखा शाखा, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर।
2. वेबसाईट अनुभाग, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर।
- 3.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ँ-द्र,कलेक्टर परिसर, जोधपुर।
4. सूचना पट्ट, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर।
5. सूचना पट्ट, जिलाधीश कार्यालय, जोधपुर।
6. सूचना पट्ट, सूचना केन्द्र जोधपुर।
7. सूचना पट्ट, नगर निगम, कार्यालय जोधपुर।
8. मैसर्स:- _____

ार्यारी निदेश,